

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राज किशोर तिवारी,
सरकार के अवर सचिव

सेवा में,

सचिव,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग/पथ निर्माण विभाग/
लघु जल संसाधन विभाग/गन्ना उद्योग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक- 22-5/2026

विषय :- माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-09.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कर्मियों को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 प्रदान किये जाने हेतु अपेक्षित सूचना एवं अन्य कागजात के संबंध में।

प्रसंग :- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक-3813, दिनांक-24.02.2026 एवं पत्रांक-6986, दिनांक-20.04.2026

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में श्री रघुवंश सिंह एवं अन्य द्वारा ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 प्रदान किये जाने हेतु दायर सी0डब्लू0जे0 संख्या-1186/2017 रघुवंश सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में विहित प्रपत्र में वाछित सूचनाएँ, सेवापुस्त की छायाप्रति गोपनीय अभ्युक्ति एवं आरोप की स्थिति उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, जो सम्प्रति अप्राप्त है।

अतएव अनुरोध है कि विहित प्रपत्र में वाछित सूचनाएँ, सेवापुस्त की छायाप्रति गोपनीय अभ्युक्ति एवं आरोप की स्थिति से संबंधित प्रतिवदेन एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। मामला न्यायालय से आच्छादित है।

अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन,

(राज किशोर तिवारी),

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापानक:-09/न्याय0-09-03/2018, सा0प्र0. 9147 पटना-15, दिनांक- 22-5-2026

प्रतिलिपि:-आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव